राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन विभाग

कमांक: एफ.वी.24( )विकास/CMO/2018-19/833 जयपुर, दिनांक:22/06/2019

सार्वजनिक सूचना

राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात् का विनियमन) अधिनियम, 2015 में प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावों पर सुझाव/राय/आपत्तियां आदि आमंत्रित करने बाबत्।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान में वर्तमान में **राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात् का विनियमन) अधिनियम, 2015** प्रचलित है।

उक्त अधिनियम, 2015 के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं तथा ऊंटपालकों से प्राप्त सुझावों के अनुरूप निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रकियाधीन है :-

क्र. सं.	अधिनियम की धारा	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1	2 (घ)	"सक्षम प्राधिकारी" से किसी जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी अन्य अधिकारी आता है जिसे सरकार के द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों और ऐसी कालावधि के लिये, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिये इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये।	सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिला कलक्टर के स्थान पर सम्बन्धित क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी तथा पशुमेलों के लिये मेला अधिकारी प्राधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।
2	2 (ज)	"वध" से किसी भी ढंग से और चाहे किसी भी प्रयोजन के लिए, साशय मारना अभिप्रेत है।	वध की परिभाषा से दयामृत्यु (Euthanasia)को हटाया जाना प्रस्तावित है।
3	5 (7)	सक्षम प्राधिकारी कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिये या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिये राजस्थान से ऊंट के निर्यात के लिये विहित रीति से विशेष परमिट जारी कर सकेगा।	उक्त धारा अन्तर्गत कृषि एवम् डेयरी उद्योग, पशु मेलों में भाग लेने के साथ-साथ प्रजनन, भार ढोने व परिवहन के प्रयोजन हेतु भी निर्यात के लिये विहित रीति से परमिट जारी किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त संशोधन प्रस्तावों पर सर्वसाधारण/ऊंटपालकों/स्वयं सेवी संगठनों/जनप्रतिनिधियों/सम्बन्धित पक्षों आदि सभी से इस सम्बन्ध में उनकी राय (सुझाव/आपत्तियां) आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक व्यक्ति अपनी राय (सुझाव/आपत्तियां) से निदेशालय पशुपालन को लिखित में अवगत करावें। सुझाव/आपत्तियां E-Mail ID director.ahd@rajasthan.gov.in पर भी प्रेषित की जा सकती है। **सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 22.07.2019 है।**

(डॉ. शैलेश शर्मा)
निदेशक